संख्या- ए. 20011/04/2017- हिन्दी
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

खंड-9, कें.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 12 फरवरी, 2019

परिपत्र

विषय: अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित आयोजित करने और राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के संदर्भ में ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निदेशानुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करना अनिवार्य है तथा इसकी बैठक कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में आयोजित करना अनिवार्य है।

2. अं.रा.पु.बे. केन्दों से प्राप्त राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि बहुत से केन्द्रों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है। जबकि इस विषय पर निदेशालय से समय समय पर निदेश जारी किए जाते रहते हैं कि प्रत्येक अं.रा.पु.बे. स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए और इसकी बैठक स्टेशन अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जानी अनिवार्य है। तिमाही बैठक में केन्द्र में हिंदी के पत्राचार को बढ़ाने, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय और निदेशालय द्वारा जारी राजभाषा निदेशों के अनुपालन पर चर्चा करके आवश्यक निर्णय लिया जाना चाहिए।

3. अत: सभी सं.स.नि./स्टेशन अधीक्षकों से अनुरोध है कि वे अपने केन्द्र में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

(क) स्टेशन अधीक्षक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की जाए और इसकी तिमाही बैठक नियमित आयोजित की जाए।

(ख) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त इस निदेशालय को सूचनार्थ भेजी जाए और इसे अपने हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के कॉलम में भी दर्शाया जाए।

(ग) हिंदी कार्यशाला प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाए और इसे भी हिंदी की प्रगति रिपोर्ट के कॉलम में भी दर्शाया जाए।

(घ) नगर में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली जाए और इसकी छमाही बैठक की सूचना मिलने पर स्टेशन अधीक्षक बैठक में स्वयं भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

(ङ) निदेशालय द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, परिपत्रों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2/-

(च) राजभाषा हिंदी की तिमाही रिपोर्ट भाग-I को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद इस निदेशालय में दिनांक 15 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें और मार्च की तिमाही रिपोर्ट के साथ भाग-I और भाग-II दोनों भेजें (इसका प्रॉफोर्मा विभाग के वेबसाइट में यूटिलिटी फॉर्म भाग में उपलब्ध है)।

4. कृपया उक्त पारा 3 में उल्लेखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और की गयी कार्रवाई से इस निदेशालय को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

13/2/19

(विद्याधर)
उप निदेशक (राजभाषा/बीजलेख)

प्रतिलिपि -

1. निदेशक के प्रधान वैयक्तिक सचिव - सादर सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय) के वैयक्तिक सचिव -सादर सूचनार्थ।
3. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र के संयुक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक।
4. सहायक निदेशक (सूचना और प्रोदद्योगिकी) - विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल ।